

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-बिलरियागंज

पुलिस मुठभेड़ में 04 गौ तस्कर गिरफ्तार, 90 किलो 400 ग्राम गोमांस, 3 राशि गाय, एक-एक तमंचा व कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया, गैरेस्टर की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.06.2021 को थाना प्रभारी ओमप्रकाश यादव मय फोर्स के तलाश वांछित अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के दृष्टिगत क्षेत्र में भ्रमणशील होकर कस्बा बिलरियागंज में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास आकर सूचना मिली कि ग्राम करमैनी में हसीब पेट्रोल पम्प के पीछे कुछ लोग गाय काटकर भारी मात्रा में गोमांस कहीं ले जाकर बेचने के फिराक में हैं तथा 3 राशि गाय छिपाकर रखे हैं यदि जल्दी किया जाए तो माल व मुल्जिम मिल सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास करके हमराही कर्मचारी गण को अवगत कराते हुए क्षेत्र में मामूर द्वितीय मोबाइल प्रभारी उ०नि० कन्हैया लाल मौर्य मय हमराह का० रवि प्रभाकर, का० अजय पटेल, का० सन्तोष कुमार यादव व का० अरूण सिंह तथा भीमबर बाजार में मौजूद हे०का० कृष्णा जी राठौर व का० नरेन्द्र सिंह को तलब कर मकसद बताते हुए मय मुखबिर खास के प्रस्थान कर ग्राम करमैनी में पहुँचे कि मुखबिर ने इशारा करके बताया कि साहब हसीब पेट्रोल पम्प के पीछे कुछ लोग एक गाय को काटकर उसके मांस की बिक्री करने के फिराक में हैं। मुखबिर इसारा करके हट बढ़ गया। हम पुलिस वाले हिकमत अमली से छिपते छिपाते हुए पेट्रोल पम्प के पीछे पहुँचे कि हम पुलिस वालों को आता देखकर एक राय होकर सभी चिल्लाये कि छांगूर मारो गोली नहीं तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं। इस पर एक व्यक्ति अपने हाथ में लिये तमंचे से हम पुलिस वालों पर लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। संजोग से गोली प्रभारी उ०नि० के कनपटी से होकर निकल गयी। हम पुलिस वाले अचानक गोली बारी की घटना से घबराकर हिकमत अमली से सिखलाये गये प्रशिक्षित तरीके से घेर घार (घेराबन्दी) करके चार व्यक्तियों को पकड़ लिया गया तथा तीन व्यक्ति भागने लगे। जिनका पीछा हे०का० उपेन्द्र यादव व का० प्रमोद यादव ने किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गये व्यक्तियों से बारी बारी नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम 1. छांगूर अहमद पुत्र तसौवर निवासी ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ बताया जिसके जामा तलाशी में उसके दाहिने हाथ में एक अदद तमंचा 12 बोर बरामद हुआ। जिसके नाल को खोलने पर बारूद की गंध आ रही है, जिसमें एक अदद फायर शुदा खोखा कारतूस 12 बोर मिला तथा पैन्ट के दाहिने जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर मिला 2. दूसरे ने अपना नाम बालिस्टर कुरैशी पुत्र मोफिद निवासी ग्राम मुड़ियार थाना फुलपुर आजमगढ़ 3. तीसरे ने अपना नाम फैसल पुत्र अरमान निवासी ग्राम सोन बुजुर्ग थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ तथा 4. चौथे ने अपना नाम साहेब पुत्र आमिर अली निवासी ग्राम बातन थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर एक प्लास्टिक के बोरे में ताजा गोमांस रखा दिखाई दे रहा है एवं खून के निशान गोमांस के अन्य भाग जमीन पर पड़ा हुआ है जिसे दूसरी प्लास्टिक की बोरी में भरवाया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से भागने वालों का नाम पता पूछा गया तो बताया कि साकिब पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम सलेमपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ तथा दो अन्य व्यक्तियों का नाम पता नहीं बता पाये तथा यह भी बताया कि साहब उन लोगों को साकिब ही लेकर आया था। तत्पश्चात काटे गये गोमांस के बारे में पूछने पर अपनी गलती की बार बार मांफी मांगते हुए बता रहे हैं कि साहब यह गाय छांगूर अहमद ने ही काटने के लिए हम लोगों को बुलाया था। काटने के बाद हम सभी लोग आपस में बाट कर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बेचकर अपना जिविकोपार्जन करते हैं। आज भी हम लोग मिलकर एक गाय को काटे थे जिसको बेचने के लिए इसी मोटर साइकिल से ले जाने वाले थे कि तब तक आप लोग आ गये और हम लोगों को पकड़ लिये। मौके पर बरामद मो०सा० नं० यू०पी० 50 जे 1848 चेचिस नं० 03 D20F35557 इंजन नं० 03 D18E35187 स्पलेण्डर को ई-चालान के माध्यम से चेक किया गया तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नं० तथा चेचिस नं० व इंजन नं० में भिन्नता पायी गयी। जिसके सम्बन्ध में पूछने पर बता रहे हैं कि यह मो०सा० साहेब की है, इसके नम्बर प्लेट को बदल दिये हैं कि यदि वाहन की पहचान हो जाय तो कोई पकड़ न पाये। मौके पर ही निर्दयता पूर्वक तीन राशि गायों को एक ही रस्सी में चारो पैर बाधकर थोड़ी ही दूरी पर काटने हेतु रखे थे। जिनके रस्सी को खोलकर अलग-अलग मुक्त किया गया। अभियुक्त गण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/5/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 420,467,468,471,307,34 भा.दं.वि. व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम का अपराध पाकर बताकर समय करीब 03.15 AM बजे हिरासत पुलिस में व बरामद एक अदद तमंचा व एक खोखा कारतूस, एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर को कब्जा पुलिस में नियमानुसार लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण-

- (1) छांगूर अहमद पुत्र तसौवर निवासी ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- (2) बालिस्टर कुरैशी पुत्र मोफिद निवासी ग्राम मुड़ियार थाना फुलपुर आजमगढ़।
- (3) फैसल पुत्र अरमान निवासी ग्राम सोन बुजुर्ग थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
- (4) साहेब पुत्र आमिर अली निवासी ग्राम बातन थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।

फरार अभियुक्तगण-

- (1) साकिब पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम सलेमपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- (2) 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात।

बरामदगी-

1. 90 किलो 400 ग्राम गोमांस
2. 03 राशि गाय
3. 01 अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर
4. 01 अदद मोटर साइकिल नं0 यू0पी0 50 जे 1848

पंजीकृत अभियोग-

- (1) मु0अ0सं0 106/2021 धारा 3/5/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 420/467/468/471/307/34 भा0द0वि0 बनाम (1) छांगूर अहमद पुत्र तसौवर निवासी ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़
- (2) बालिस्टर कुरैशी पुत्र मोफिद निवासी ग्राम मुड़ियार थाना फुलपुर आजमगढ़ (3) फैसल पुत्र अरमान निवासी ग्राम सोन बुजुर्ग थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ (4) साहेब पुत्र आमिर अली निवासी ग्राम बातन थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ (5) साकिब पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम सलेमपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ (6) दो अन्य व्यक्ति का नाम पता अज्ञात।
- (2) मु0अ0सं0 107/2021 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 दि0घ0 समय घटनास्थल वादी उपरोक्त बनाम छांगूर अहमद पुत्र तसौवर निवासी ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली गठित टीम-

- (1) उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (2) उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (3) हे0का0 उपेन्द्र कुमार यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (4) हे0का0 कृष्णा जी राठौर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (5) का0 प्रमोद यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (6) का0 सर्वेश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (7) रि0का0 अभिषेक तिवारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (8) म0का0 प्रथमा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (9) म0का0 आरती सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (10) का0 रवि प्रभाकर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (11) का0 अजय पटेल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (12) का0 सन्तोष कुमार यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (13) का0 अरुण सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- (14) का0 नरेन्द्र सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।